भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3508

21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जीबीएस का प्रसार

3508. श्रीमती अनीता शुभदर्शिनीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में हाल के महीनों में गुलैइन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) से प्रभावित रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जीबीएस के फैलने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने भविष्य में जीबीएस के प्रसार को रोकने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): दिनांक 12 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, देश में केवल महाराष्ट्र राज्य से गुइलेन-बैरे-सिंड्रोम (जीबीएस) के कुल 229 मामले (संदिग्ध और पुष्टि) दर्ज किए गए हैं। जीबीएस की घटना दर्शाती है कि हाल के महीनों में मामलों में गिरावट हो रही है।

(ग) से (ङ): दिनांक 24/01/2025 को केंद्रीय तकनीकी टीम, जिसमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हान्स) और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी), पुणे के विशेषज्ञ शामिल है, को रोगजनकों और प्रकोप का अध्ययन करने के लिए साइट पर तैनात किया गया था। नांदेड़ में अतिरिक्त मामलों सहित अधिकांश मामले पुणे के विशिष्ट समूहों से सामने आए हैं। यह अध्ययन जल आपूर्ति प्रणालियों, पानी के स्रोतों और अन्य प्रासंगिक कारकों की गहन जांच के साथ प्रकोप के मुख्य जनक की पहचान करने पर केंद्रित था। जांच में पाया गया कि इस जनसंख्या समूह में जीबीएस का सबसे संभावित कारण कैम्पिलोबैक्टर का पूर्व संक्रमण है।

रोग के भावी प्रसार को रोकने और निगरानी करने के लिए एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी)/एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफार्म (आईएचआईपी) पोर्टल के अंतर्गत निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है जो संदिग्ध मामलों की पहचान करता है। जीबीएस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा **अनुलग्नक** मे दिया गया है।

अनुलग्नक -I

"जीबीएस के प्रसार" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3508 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुलग्नक

जीबीएस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम;

- स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी उपायों को सुदृढ़ करना,
- उपचारित और स्वच्छ जल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं।
- रिसाव और टूट-फूट का पता लगाने के लिए जल स्रोतों की जाँच की गई है, तथा सुधारात्मक उपाय किए गए हैं।
- निजी अस्पतालों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं तथा कुओं में क्लोरीन डाली गई है।
- स्वच्छ जल के टैंकरों की व्यवस्था की गई है।
- सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान चलाए गए हैं।
- सरकारी अस्पतालों में नामोद्दिष्ट आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए गए हैं तथा जीबीएस के उपचार के लिए पीएम-जेएवाई योजना के तहत विशेष पैकेज शामिल किए गए हैं।
- संदिग्ध मामलों के लिए परीक्षण का विस्तार किया गया है तथा रोग को फैलने से रोकने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग किया गया है।

******